19-8-2020

पत्रावली आज दिनांक 19.8.2020 को पेश हुई। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी संख्या–1 (लोकेन्द्र सिंह पुत्र श्री भंवरसिंह, जाति– राजपूत, निवासी– घोवाडा, तहसील– हिन्डोली, जिला–बूंदी, मेनेजर, मैसर्स, जीवन सम्बल चेरिटेबल ट्रस्ट, कमला स्टोन इण्डस्ट्रीयल एरिया, जी–ए–1–4, 5, शिवगंज, जिला– सिरोही) एवं प्रतिवादी संख्या–2 (प्रियंका मीणा पुत्री श्री रामकरण मीणा, निवासी– बी–141 इन्द्रा विहार, कोटा, नॉमिनी, मैसर्स जीवन सम्बल चेरिटेबल ट्रस्ट, कमला स्टोन इण्डस्ट्रीयज एरिया, जी–ए–1–4, 5, शिवगंज, जिला– सिरोही) की ओर से मैसर्स जीवन सम्बल चेरिटेबल ट्रस्ट, कोटा के प्रतिनिध श्री चन्द्र शेखर तिवारी उपस्थित। प्रकरण में प्रतिवादीगण की ओर से पूर्व में दिनांक 15.1.2020

.......लगातार

Signature Not Verified

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2020.11.06 13:33:15 IST
Reason: SelfAttested

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.11/2019	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
	को लिखित जवाब प्रस्तुत हुआ। उसके बाद दिनांक 19.3.2020 को भी प्रतिवादीगण की ओर से पुनः लिखित जवाब प्रस्तुत हुआ। प्रकरण में प्रतिवादीगण की ओर से उपस्थित श्री चन्द्रशेखर तिवारी, प्रतिनिधि– मैसर्स जीवन सम्बल ट्रस्ट की बहस सुनी गई। जिन्होनें जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को खारिज करने का अनुरोध किया। हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया व प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सिरोही ने दिनांक 10.7.2018 को समय 2.00 पी.एम. पर मैसर्स जीवन सम्बल चेरिटेबल ट्रस्ट, कमला स्टोन इण्डस्ट्रीयज एरिया, जी–ए–1–4, 5, शिवगंज, जिला– सिरोही के रसोई घर पर पँहुचे, वहां पर खाद्यकारोबारकर्ता के रुप में लोकेन्द्र सिंह पुत्र भंवर सिंह, जाति– राजपूत उपस्थित मिलें जो आम जनता के उपयोग हेतु खाद्य पदार्थ आलू सब्जी (रिफाईण्ड पॉम ऑयल में बनी हुई) आदि का विक्रय करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान रसोई गोदाम पर मौजूद 8 स्टील के हाटपाट पात्र में रखी हुई आलू सब्जी (रिफाइण्ड पॉम ऑयल से बनी हुई) में मिलावट का शक होने पर उसमें से 2 किलोग्राम आलू सब्जी (रिफाइण्ड पॉम ऑयल से बनी हुई) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु गवाह के समक्ष कीमतन क्रय कर विधिवत कार्यवाही करते हुए उक्त खाद्य पदार्थ आलू सब्जी (रिफाईण्ड पॉम ऑयल से बनी हुई) के एक नमूना भाग एवं फार्म नंम्बर 6 का एक सील बन्द लिफावे को नमूनें की जांच हेतु खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को भिजवाया एवं शेष 3 नमूना भाग मय फार्म नं. 6 के अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से उक्त खाद्य पदार्थ आलू सब्जी (रिफाईण्ड पॉम ऑयल से बनी हुई) के नमूना संख्या S-776 की प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./482/Act/2018/501 दिनांक 19.7.2018 के अनुसार Unsafe पाया गया। जिस पर प्रतिवादी पक्ष के अपील आवेदन पर उक्त खाद्य पदार्थ आलू सब्जी (रिफाईण्ड पॉम ऑयल से बनी हुई) के नमूना संख्या S-776 के दूसरे नमूना भाग को रेफरल लेब से जांच हेतु निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला, पूणे को भिजवाया गया। प्रकरण में निदेशक, निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला, पूणे द्वारा प्रेषित विश्लेषण जांच प्रमाण पत्र संख्या:RFL/DO/342/18/947/2018 दिनांक 03.11.2018 के अनुसार अमानक (Sub-standard) पाया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या–1 (लोकेन्द्र सिंह) उक्त ज़ीवन सम्बल चेरिटेबल ट्रस्ट का मेनेजर है एवं प्रतिवादी संख्या–2 (प्रियंका मीणा) उक्त जीवन चेरिटेबल ट्रस्ट की नॉमिनी है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि जीवन सम्बल चेरिटेबल ट्रस्ट, कमला स्टोन इण्डस्ट्रीयज एरिया, जी–ए–1–4, 5, शिवगंज द्वारा अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ आलू सब्जी (रिफाइण्ड पॉम ऑयल से बनी हुई) का विक्रय किया गया है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन ......लगातार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2020.11.06 13:33:15 IST
Reason: SelfAttested

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No.11/2019**	नम्बर व तारीख अहकाम [illegible] हुक्म की तामिलमें जारी हुए
	किया है, जो उक्त अधिनिय्रम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है। अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 51 के तहत जीवन सम्बल चेरिटेबल ट्रस्ट, कमला स्टोन इण्डस्ट्रीयज एरिया, जी–ए–1–4, 5, शिवगंज, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 15,000/– (अक्षरे रुपये पन्द्रह हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। साथ ही, उक्त जीवन सम्बल चेरिटेबल ट्रस्ट के प्रतिनिधि श्री चन्द्रशेखर तिवारी को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित को पालनार्थ प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो तथा जुर्माना राशि का डी.डी. जमा होने पर पेश हो। (गितेश श्री मालवीया) अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही	

Signature Not Verified

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2020.11.06 13:33:15 IST
Reason: SelfAttested